तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
06.02.2025	प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 जा0दी0 प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र में प्रकरण संख्या 446/2022 में दिनांक 31.01.2025 को निर्णय हुआ जिसमें टंकण त्रुटि की वजह से नामान्तकरण संख्या 1578 के बजाय 1518 कर दिया व दिनांक 07.01.2011 के बजाय दिनांक 07.01.2001 कर दिया है। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी की प्रति पेश की जिसमें ग्राम मालोला के नामान्तकरण संख्या 1578 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 07.01.2011 है। प्रतिवादी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रकरण संख्या 446/2022 के निर्णय दिनांक 31.01.2025 में जहॉ–जहॉ नामान्तकरण संख्या 1518 व दिनांक 07.01.2001 अंकन किया गया जिसे संशोधन करते हुये नामान्तकरण संख्या 1518 व दिनांक 07.01.2001 के बजाय 1578 निर्णय दिनांक 07.01.2011 पढा जावें। संशोधन का निर्णय में लाल स्याही से अंकन करें। संशोधित आदेश निर्णय का पार्ट रहेगा। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत,आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर
56/2006 ईजराय रिमाण्ड से नया प्र0स0 446/2022

दायर दिनांक
23.11.2022

1. बख्तावर गाडरी आत्मज श्री गिरधारी गाडरी, निवासी मालोला, तहसील व जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :—

1/1— केशी पत्नी श्री बख्तावर गाडरी निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा।

1/2— पप्पु पुत्र श्री बख्तावर गाडरी उम्र वयस्क निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा राज।

1/3 — नारायणी पुत्री श्री बख्तावर गाडरी उम्र वयस्क निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा राज।

1/4 — चुन्नी पुत्री श्री बख्तावर गाडरी उम्र वयस्क निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा राज।

1/5 — प्रेम पुत्री श्री बख्तावर गाडरी उम्र वयस्क निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा राज।

—— प्रार्थी/प्रतिवादी

बनाम

श्री किशना बल्द ईसर गाडरी मृतक के बजाय :—

1/1 :— श्रीमती नानी बेवा किशना गाडरी, निवासी मालोला, भीलवाडा

1/2 :— श्री भोलू आत्मज श्री किशना गाडरी, निवासी मालोला, भीलवाडा

——वादीगण/विपक्षीगण

श्री हजारी वल्द मेधा मृतक के बजाय :—

2/1 :— किशना वल्द हजारी गाडरी, निवासी मालोला जिला भीलवाडा

श्री उरजन वल्द मेधा गाडरी मृतक के बजाय :—

3/1 :— मु0 देउ बेवा उरजन गाडरी, निवासी मालोला।

तहसीलदार भीलवाडा।

——प्रतिवादीगण/विपक्षीगण

रेणु पत्नी श्री कमल तुलसानी उम्र वयस्क निवासी सिविल लाईन प्रदीप बंधु पेट्रोल पम्प के पीछे, भीलवाडा तहसील व जिला मीलवाडा राज

सुनीता पत्नी श्री मोहन तुलसानी उम्र वयस्क निवासी सिविल लाईन प्रदीप बंधु पेट्रोल पम्प के पीछे भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा ।

—— अपीलार्थी/उजरदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व धारा 151 जा0दी0 के बाबत् रेस्टोर कराये जाने वाद में वर्णित आराजियात में से आराजी नम्बर 1236 में से रकबा 01—04 बीघा, आराजी नम्बर 1237 में से 02—06 बीघा कुल किता 02 रकबा 03—10 बीघा जमीन का खाता प्रार्थी बख्तावर के नाम दर्ज करवानें बाबत्

इस प्रार्थना पत्र में ईजराय प्रकरण संख्या 56/2006 निर्णय दिनांक 21.05.2016 की अपील न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाडा के अपील संख्या 269/2017 निर्णय दिनांक 09.11.2022 से निर्णय दिनांक 21.05.2016 को निरस्त कराते के बाद अपील न्यायालय के निर्णय के निर्देशानुसार अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई बाबत्

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मुकदमा नम्बर 325/85 की तामिल में मुझ बख्तावर के नाम पर आराजी नम्बर 1236 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व आराजी नम्बर 1237 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का उल्लेख ऊपर किया गया है, का इन्द्राज राजस्व माली कागजों से हटा दिया गया और किशना और उनके वारीसान के मध्य पुनः विभाजन का इन्द्राज कर दिया गया। जबकि मुकदमा नम्बर 325/85 में पारित निर्णय व डिकी माननीय राजस्व अपील अधिकारी के यहां से दिनांक 09.06.1995 को ही मनसुख हो चुकी थी तथा मूल वाद ही किशना एवं उसके वारिसान की ओर से पेश किये व सभी वाद दिनांक 28.08.2006 को न्यायालय आप द्वारा खारिज फरमा दिये गये।

इस प्रकार मामले के तथ्यों के आधार पर मुकदमा नम्बर 133/82 की डिकी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित हुई है एवं डिकी की पालना में पुनः आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व आराजी नम्बर 1237 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का इन्द्राज पूर्व पारित निर्णय व डिकी की तामिल में किया जाना है वह उसी अनुसार रेकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु यह आवेदनपत्र धारा 144 जा.दी के तहत प्रस्तुत है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2006 के निर्णय व डिकी अनुसार वाद के लम्बित रहते हुये मु. नानी व भोलू द्वारा आगे के हस्तान्तरणों को भी धारा 52 टी.पी. एक्ट के तहत सही नहीं मानते हुये निर्णय व डिकी पारित की है। इस निर्णय व डिकी के विरूद्ध कोई चाराजोही आगे नहीं की गई है। धारा 144 जा.दी. के तहत अलग से वादग्रस्त आराजियात के बाबत् पुनः वाद लाना बाधित है। इस कारण मुकदमा नम्बर 133/82 की पालना में मुझ बख्तावर वल्द गिरधारी के पक्ष में पारित फाईनल डिकी की तामिल में पुनः राजस्व माली कागजो व रेकार्ड एवं जमाबन्दियों में खातेदार काश्तकार की हैसियत से नाम अंकित किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि धारा 144 जा.दी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रार्थी बख्तावर वल्द गिरधारी गाडरी निवासी मालोला तहसील भीलवाड़ा का स्वीकार किया जाकर मुकदमा नम्बर 325/85 में पारित डिकी व निर्णय की तामिल में प्रतिवादीगण व आगे के खरीददारान का नाम हटाया जाकर मुकदमा नम्बर 133/82 में पारित फाईनल डिकी के अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित किता 2 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा का इन्द्राज मुझ प्रार्थी बख्तावर वल्द गिरधारी गाडरी के नाम पर राजस्व माली कागजों में अभिलिखित किये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेशित करें।

प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र को पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण संख्या 133/1982 निर्णय दिनांक 31.08.1982 एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 829/2002 निर्णय व डिकी दिनांक 28.08.2006 एवं न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के अपील प्रकरण संख्या 357/2006 निर्णय दिनांक 28.02.2007 की पालना हेतु तहसीलदार भीलवाडा को पत्र कमांक दिनांक 09.04.2007 से लिखा गया।

ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1237 रकबा 02–06 बीघा प्यारी पत्नी सोहन गाडरीखेडा भीलवाडा खातेदार दर्ज होकर ईजराय प्रकरण संख्या 56/2006 में प्रकरण संख्या 133/1982 निर्णय दिनांक 31.08.1982 की पालना में बख्तावर पिता गिरधारी गाडरी के नाम दर्ज की गई।

ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 04–08 बीघा भूमि रेणु पत्नी कमल कुमार तुलसीयानी 1/2 हिस्सा निवासी 37 भोपालपुरा, सुनिता पत्नी मोहनदास तुलसीयानी 1/2 सिविल लाईन पेट्रोल पम्प के पिछे अजमेर रोड खातेदार दर्ज होकर ईजराय प्रकरण संख्या 56/2006 की पालना में आराजी नम्बर 1236/3 रकबा 01–04 बीघा भूमि बख्तावर पिता गिरधारी गाडरी के नाम नामान्तकरण संख्या 1518 दिनांक 07.01.2001 से स्वीकृत कर दर्ज की गई। 1578 1578 07.01.2011

प्रकरण संख्या 56/2006 में निर्णय दिनांक 21.05.2016 से डिकी की पालना में नामान्तकरण संख्या 1518 स्वीकृत हो जाने से कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

प्रार्थीगण रेणु तुलसीयानी व सुनिता तुलसीयानी ने दिनांक 30.11.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नामान्तकरण संख्या 1518 दिनांक 07.01.2011 के आधार 1578 पर प्रार्थी/प्रतिवादी के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 04–08 बीघा में से 01–04 बीघा भूमि बख्तावर गाडरी के नाम पर किये गये ईन्द्राज को निरस्त किया जावें।

इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थी/प्रतिवादी ने दिनांक 06.03.2012 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण संख्या 133/1982 में पारित अन्तिम डिकी के अनुसार नियमानुसार प्रार्थी/प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज किया गया है। प्रार्थीगण रेणु तुलसीयानी व सुनिता तुलसीयानी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज कराया जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

श्रीमती रेणु तुलसीयानी, श्रीमती सुनीता तुलसीयानी ने प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का दिनांक 21.11.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1236/3 के सम्बन्ध में डिक्रीदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा विक्रय, रहन, बक्षीस नहीं करनें एवं मौके पर राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखाई जाने का आदेश प्रदान करावें इस पर उभयपक्ष को सुना जाकर ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1236/3 के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.11.2022 को विरूद्ध डिक्रीदार के जारी की गई। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 56/206 निर्णय दिनांक 21.05.2016 के विरूद्ध अपील श्रीमती सुनीता तुलसीयानी एवं श्रीमती रेणु तुलसीयानी ने न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के यहॉ प्रस्तुत की गई अपील प्रकरण संख्या 269/2017 में पक्षकारान की सुनवाई की जाकर विस्तृत निर्णय दिनांक 09.11.2022 को जारी किया गया। जिसमें अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2016 को निरस्त किया गया है। एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अज सिरे नो निर्णय पारित किया जावें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.11.2022 को उपस्थित रहें।

प्रशासन गांवो के संग में तहसीलदार, भीलवाड़ा ने पालना रिपोर्ट का जो इन्द्राज किया वह सरासर गलत है व प्रार्थीयागण द्वारा युक्तियुक्त खातेदार, काश्तकार होने से आराजी सं. 1236/1 जो कि पश्चिमी तरफ तत्समय था उसे उसी स्थिति में दुरूस्त फरमा वापस राजस्व रेकार्ड में सही अंकन करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इस न्यायालय के प्रकरण सं. 56/2006 निर्णय दिनांक 21/05/2016 की अपील भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा में होकर अपील सं. 369/2017 दिनांक 09/11/2022 को निर्णित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/05/2016 को निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में 56/2006 निर्णय दिनांक 21/05/2016 के आधार पर आराजी सं. 1236/3 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा के भूमि बख्तावर पिता गिरधारी गाडरी के नाम दर्ज की गयी है जिसे अपास्त करते हुए पुनः अपीलार्थीगण के नाम इन्द्राज करने का आदेश करावें।

प्रकरण सं. 325/1985 में पारित निर्णय व डिक्री राजस्व अपील अधिकारी के यहां से दिनांक 09/06/1995 को ही मनसुख (सहमति द्वारा निस्तारण) हो चुका है जिसकी पालना भी तत्समय कर दी गई तथा पुनः दिनांक 21/05/2016 को वापस पालना करना न्याय के विपरीत है यदि पालना करनी ही थी तो डिक्री में अंकित पक्षकारो के मध्य पक्षकारो की भूमि से ही 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि कम करना व नया इन्द्राज करना उन पक्षकारो के खातेदारी की भूमि पर करना था। मुझ सद्भाविक क्रेता / प्रार्थीयागण की भूमि में कमी कर बिना हमारे पक्ष को सुने तरमीम करना विधि विरुद्ध हैं। मूल वाद ही किशना और उसके वारिसान की ओर से पेश किये गये सभी वाद दिनांक 28/08/2006 में ही सहायक कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा खारिज कर दिये गये। इस कारण प्रकरण संख्या 133/82 की पालना में बख्तावर वल्द गिरधारी के पक्ष मे फाईनल डिक्री की तामिल मे प्रशासन गावों के संग मे तहसीलदार भीलवाडा ने प्रार्थीयागण को नोटिस नहीं देकर के बिना प्रार्थीयागण के पक्ष को सुने निर्णय कर भारी भुल की है। प्रकरण संख्या 133/82 की पालना में बख्तावर का मात्र 1/4 हक, हिस्सा ही निहित होकर संयुक्त खाते मे से डिक्री दिनांक 20/08/1987 से आराजी नम्बर 1237 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि बख्तावर पिता गिरधारी के नाम इन्द्राज हो चुकी है। इस प्रकार आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि बख्तावर पिता गिरधारी के नाम गलत इन्द्राज की गई दोहरा लाभ प्राप्त किया गया है जो सर्वथा विधि विरूद्व है। परन्तु तहसीलदार भीलवाडा ने प्रशासन गावों के संग मे दिनांकित 07/01/2011 को अतिरिक्त भूमि 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि का अंकन कर भारी भुल की जो सर्वथा विधि विरूद्ध हैं, को दुरूस्त करा नक्शा ट्रेस मे आराजी संख्या 1236/1 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि का पुनः इन्द्राज करवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि ग्राम मालोला पटवार हल्का मालोला, भू.अ.नि.क्षेत्र भीलवाडा खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 1236/1 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा किस्म बंजड भूमि मे प्रार्थीयागण का नाम राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शे मे संशोधित फरमा तरमीम कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में प्रार्थीयागण की और से निम्न लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ग्राम मालोला पटवार हल्का मालोला भू.अभि.क्षे.–भीलवाड़ा खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी सं. 1236/1 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा किस्म बंजड़ भूमि प्रार्थीयागण ने दिनांक 22/02/2002 को देऊ बेवा उरजन गाडरी व किशन पुत्र हजारी गाडरी निवासियान मालोला से जरिये विक्रय विलेख लिखा पंजीयन करवाया गया व कब्जा प्राप्त किया। इसके उपरांत नामान्तकरण सं. 1185 व 1186 दिनांक 09/04/2007 से आराजी सं. 1236/1 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीयागण ने अपना नामान्तकरण करा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीयागण का नाम अंकित कराया गया तब से लेकर आज दिनांक तक प्रार्थीयागण आराजी सं. 1236/1 जो तत्समय पश्चिमी दिशा में था में काबिज है। दिनांक 07/01/2011 को प्रशासन गांवो के संग में न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा ने बिना प्रार्थीयागण को नोटिस दिये आराजी सं. 1236/1 में से 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रार्थीयागण की खातेदारी, अधिकार की आराजी में से कम करके बख्तावर पिता गिरधारी गाडरी के नाम अंकित कर 1236/3 की तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया गया। तत्समय से प्रार्थीयागण वादग्रस्त भूमि पर आज दिनांक तक काबिज है राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित होते हुए भी तहसीलदार भीलवाडा ने बिना माईन्ड अप्लाई किये व बिना प्रार्थीयागण खातेदारों को नोटिस दिये राजस्व रेकार्ड में प्रकरण सं. 133/1982 का हवाला देते हुए इजराय सं. 56/06 निर्णय दिनांक 20/10/2010 के अनुसार इन्द्राज कर भारी भुल फरमायी है जिसे प्रार्थीयागण के पक्ष में दुरूस्त फरमाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है क्योंकि प्रार्थीयागण ने पूर्व खातेदारान को प्रतिफल देकर ओर भूमि क्रय की इस प्रकार प्रार्थीयागण युक्तियुक्त खातेदार, काश्तकार होकर आज भी वादग्रस्त भूमि आराजी सं. 1236/1 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर काबिज है।

प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थाना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व धारा 151 जा0दी0 के अन्तर्गत प्रार्थी/प्रतिवादी बख्तावर आत्मज गिरधारी गाडरी के नाम न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण संख्या 133/1982 निर्णय दिनांक 31.08.1982 की पालना में ईजराय प्रकरण संख्या 56/2006 में नामान्तकरण संख्या 1518 दिनांक 07.01.2011 से दर्ज की गई है। उजरदार सुनीता, रेणु तुलसीयानी का प्रार्थना पत्र खारिज कराया जायें।

1578

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के प्रकरण अपील संख्या 267/2017 निर्णय दिनांक 09.11.2022 के निर्देशानुसार उभयपक्ष को सुना जाकर बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध तथयों व दस्तावेज का भलीभांति परीक्षण किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण संख्या 133/1982 निर्णय दिनांक 31.08.1982 में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन की डिक्री जारी की गई:– उनवान प्रकरण बख्तावर आत्मज गिरधारी गाडरी निवासी मालोला बनाम अर्जुन, हजारी, गोपी आत्मज मेघा गाडरी निवासी मालोला

कुल किता 09 कुल रकबा 14–01 बीघा भूमि

बख्तावर आत्मज गिरधारी गाडरी के हिस्से में ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1237 रकबा 02–06 बीघा भूमि एवं आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 01–04 बीघा भूमि कुल किता 02 रकबा 03–10 बीघा भूमि

अर्जुन, हजारी, गोपी आत्मज मेघा गाडरी के हिस्सें में आराजी नम्बर 1236/2 रकबा 05–09 बीघा, आराजी नम्बर 1240 रकबा 01–15 बीघा, आराजी नम्बर 1241 रकबा 01–12 बीघा, आराजी नम्बर 1242 रकबा 00–16 बीघा, आराजी नम्बर 1243 रकबा 00–15 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 10–07 बीघा भूमि।

शामलाती आराजी नम्बर 1238 रकबा 02 बिस्वा गे0मु0 आचा, आराजी नम्बर 1239 रकबा 02 बिस्वा बंजड भूमि

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भीलवाडा के प्रकरण संख्या 325/1985 में निर्णय दिनांक 20.08.1987 अन्तिम डिक्री दिनांक 01.07.1989 में निर्णय निम्नानुसार पारित हुआ है :-

उनवान प्रकरण वादी किशना आत्मज ईसर गाडरी निवासी मालोला बनाम प्रतिवादी हजारी वल्द मेघा गाडरी, किशन आत्मज हजारी गाडरी, उरजन वल्द मेघा गाडरी, देउ बेवा उरजन गाडरी, बख्तावर पिता गिरधारी गाडरी निवासी मालोला।

कुल किता 08 रकबा 14-01 बीघा भूमि का विभाजन निम्नानुसार है :-

1. वादी किशन वल्द ईसर गाडरी निवासी मालोला के हिस्से में आराजी नम्बर 1241 रकबा 01-12 बीघा, आराजी नम्बर 1236 रकबा 06-13 बीघा में से 02-05 बीघा भूमि पूर्व तरफ की कुल किता 02 रकबा 03-17 बीघा भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हिस्से में आराजी नम्बर 1236 रकबा 06-13 बीघा में से 04-08 बीघा भूमि पश्चिम तरफ, आराजी नम्बर 1239 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 1240 रकबा 01-15 बीघा, आराजी नम्बर 1242 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 1243 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 07-16 बीघा भूमि
3. प्रतिवादी संख्या 03 बख्तावर आत्मज गिरधारी गाडरी के हिस्सें में आराजी नम्बर 1237 रकबा 02-06 बीघा भूमि।

इस प्रकार न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भीलवाडा के प्रकरण संख्या 325/1985 निर्णय दिनांक 01.07.1989 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 03 बख्तावर आत्मज गिरधारी गाडरी के हिस्सें में आराजी नम्बर 1237 रकबा 02-06 बीघा भूमि रही है।

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 देउ बेवा उरजन गाडरी व श्रीकिशन पुत्र हजारी गाडरी निवासी मालोला के हिस्सें में आई आराजी नम्बर 1236 रकबा 04-08 बीघा भूमि पश्चिम तरफ की उजरदार श्रीमती सुनीता तुलसानी धर्मपत्नी मोहनदास तुलसानी निवासी सिविल लाईन कॉलोनी पेट्रोल पम्प के पिछे अजमेर रोड भीलवाडा ने 1/2 हिस्सा एवं श्रीमती रेणु तुलसानी पत्नी कमल कुमार तुलसानी निवासी ईडब्ल्यूएस 37 भोपालपुरा भीलवाडा ने 1/2 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.02.2007 से क्रय किया। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में भी नामान्तकरण संख्या 1185, 1186 दिनांक 09.04.2007 से दर्ज हो चुकी है।

श्री बख्तावर पिता गिरधारी गाडरी निवासी मालोला के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व धारा 151 जा0दी0 में प्रकरण संख्या 133/1982 में जारी डिक्री की पालना हेतु ईजराय प्रकरण संख्या 56/2006 में डिक्री की पालना के पत्र दिनांक 20.10.2010 से आराजी नम्बर 1237 रकबा 02-06 बीघा व आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 01-04 बीघा कुल किता 03-10 बीघा भूमि बख्तावर गाडरी के नाम नामान्तकरण संख्या 1518 1578 दिनांक 07.01.2011 से नाम दर्ज कर दी जबकि इस प्रकरण में सुनीता व रेणु ने उजरदारी प्रार्थनापत्र पेश किया जिसकी बिना सुने ही सुनीता व रेणु क खातें से आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 01-04 को बख्तावर के नाम दर्ज कर दी उजरदार द्वारा अपील आर0ए0ए0 में की गयी अपील स्वीकार होकर नामान्तकरण संख्या 1518 के आधार पर प्रकरण संख्या 56/2006 निर्णय दिनांक 21.05.2016 को अपास्त कर दिया। 1578

उजरदार सुनीता व रेणु ने प्रकरण संख्या 325/1985 प्रारम्भिक डिक्री निर्णय दिनांक 20.08.1987 में जारी अन्तिम डिक्री दिनांक 01.09.1989 में प्रतिवादी हजारी, किशन/मेघा व उरजन, देउ/मेघा के विभाजन में प्राप्त आराजी नम्बर 1236 रकबा 04-08 पश्चिम तरफ की क्रय की है।

ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1236 कुल रकबा 06-13 बीघा विभाजन से आराजी नम्बर 1236 में रकबा 02-05 बीघा भूमि पूर्व तरफ की वादी किशना/ईसर गाडरी के हिस्से में एवं आराजी नम्बर 1236 में रकबा 04-08 बीघा भूमि पश्चिम तरफ की प्रतिवादी हजारी किशन/मेघा, उरजन/मेघा, देऊ/मेघा के हिस्से में रखी गयी। उजरदार ने आराजी नम्बर 1236 रकबा 04-08 बीघा भूमि देऊ बेवा उरजन एवं हजारी किशन से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.02.2002 से क्रय की।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उजरदार सुनीता, रेणु के नाम नामान्तकरण संख्या 1185, 1186 दिनांक 09.04.2007 से आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 04–08 बीघा भूमि पश्चिम तरफ में से 01–04 बीघा भूमि बख्तावर आत्मज गिरधारी गाडरी निवासी मालोला के नाम दर्ज की गई जिसे अपील न्यायालय के निर्देशानुसार उभयपक्ष की सुनवाई कर ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 04–08 बीघा भूमि पश्चिम तरफ में से 01–04 बीघा भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.02.2002 के आधार पर एवं अपील न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.11.2022 के निर्देशानुसार उभयपक्ष की सुनवाई कर बख्तावर पिता गिरधारी गाडरी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1236/3 रकबा 01–04 बीघा भूमि को पुनः सुनीता, रेणु के नाम ईन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1236/3 रकबा 01–04 बीघा भूमि जो राजस्व नक्शें में बख्तावर पिता गिरधारी गाडरी के नाम तरमीम की गई जिसे हटाया जाकर आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 03–04 बीघा भूमि के साथ राजस्व नक्शें में पूर्ववत तरमीम करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

अपीलार्थी/उजरदार श्रीमती सुनीता तुलसानी धर्मपत्नी मोहनदास तुलसानी निवासी सिविल लाईन कॉलोनी पेट्रोल पम्प के पिछे अजमेर रोड भीलवाडा एवं श्रीमती रेणु तुलसानी पत्नी कमल कुमार तुलसानी निवासी ईडब्ल्यूएस 37 भोपालपुरा भीलवाडा का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2016 स्वीकार करते हुये ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 04–08 बीघा भूमि पश्चिम तरफ में से 01–04 बीघा भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.02.2002 के आधार पर कयशुदा एवं अपील न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.11.2022 के निर्देशानुसार बख्तावर पिता गिरधारी गाडरी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1236/3 रकबा 01–04 बीघा भूमि को पुनः सुनीता, रेणु के नाम ईन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 1236/3 रकबा 01–04 बीघा भूमि जो राजस्व नक्शें में बख्तावर पिता गिरधारी गाडरी के नाम तरमीम की गई जिसे हटाया जाकर आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 03–04 बीघा भूमि के साथ राजस्व नक्शें में पूर्ववत आराजी नम्बर 1236/1 रकबा 04–08 बीघा भूमि की तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज करें एवं राजस्व नक्शें में तरमीम दुरूस्ती करें।

(दिव्यराज सिंह बुण्डाल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा